न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 32 सन 2022

अनवान :–

1. लीलाधर पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
2. जगदीश पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
3. रायसिह पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
4. गुडडी पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
5. शारदा पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
6. धर्मा पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
7. बृजू पत्नी अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/2/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 8/10 की कुल 5.1720हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी वा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम रों दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता अमीलाल वल्द श्योलाल के नाम से दर्ज थी जो वादी का पिता है अमीलाल वल्द श्योलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से अमीलाल के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज भूमि विरास्तन से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहने है एवं अमीलाल पुत्र श्योलाल की पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 7 वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि अमीलाल वल्द श्योलाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से अमीलाल के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानावास उतरादा के खाता संख्या 8/10 की कुल 5.1720हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी वा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता अमीलाल वल्द श्योलाल के नाम से दर्ज थी जो वादी का पिता है अमीलाल वल्द श्योलाल के देहान्त होने के बाद विरासतन से अमीलाल के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज भूमि विरासतन से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहने है एवं अमीलाल पुत्र श्योलाल की पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 7 वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध मे कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानावास उतरादा के खाता संख्या 8/10 की कुल 5.1720हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी वा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता अमीलाल वल्द श्योलाल के नाम से दर्ज थी जो वादी का पिता है अमीलाल वल्द श्योलाल के देहान्त होने के बाद विरासतन से अमीलाल के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज भूमि विरासतन से दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहने है एवं अमीलाल पुत्र श्योलाल की पुत्री है जिनकी शादी हो चुकी है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 7 वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की माता है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हको का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 8/10 की कुल 5.17/20हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी वा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम सें दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो वहिय के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. लीलाधर पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
2. जगदीश पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
3. रायसिह पुत्र अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
4. गुडडी पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
5. शारदा पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
6. धर्मा पुत्री अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
7. बृजू पत्नी अमीलाल जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 32 सन 2022 निर्णय दिनांक– 21/02/2022–

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 8/10 की कुल 5.1720हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी या प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम सें दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner